रजिस्टर्ड नं० न०-33/एस० एम० 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 जून, 1989/13 ज्येष्ठ, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 6 अप्रैल, 1989

पत्र संख्या जी०ए०डी० (जी०आई०) 6 (एफ)-4/89.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी०ए०डी० (पी०ए०)-4(डी)-18/77-जी०ए०सी०-ii, दिनांक 24 अगस्त, 1985 का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, रैव. डा० एम०पी० कृष्टा आनन्द, प्रशासक, कैथोलिक चर्च, शिमला के स्थान पर फादर थोमस ऐनचनिकल, प्रशासक, माईकलज़ कैथेड्रल, रिपन प्लेस शिमला को राज्य, स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति के सदस्य मनोनीत करने के सहर्ष तत्काल आदेश देते हैं।

इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें, इस विभाग के अधिसूचना संख्या जी०ए०डी० (पी०ए०) 4 (डी)-18/77-जी०ए०सी० दिनांक 20 अक्तूबर, 1983 द्वारा जारी की गई, ही लागू होंगी।

आदेशानुसार,
बी० सी० नेगी,
मुख्य सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अप्रैल, 1989

संख्या 6-25/77-परिवहन-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान करारोपण अधिनियम, 1972 की धारा 14(3) एवं मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 42(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुए सैन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीचियूशन, बंगलौर की मोटर गाड़ी नं0 सी0ए0 डब्ल्यू-2521 को कर एवं रूट परमिट के संदाय से सहर्ष छूट देते हैं।

जी0 एस0 चम्बयाल,
सचिव।

कार्यालय जिलाधीश बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

बिलासपुर, 21 अप्रैल, 1989

संख्या बी0एल0पी0-6-13/78.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 9(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19(ए) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरलोग, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने श्रीमती दशोधा देवी पत्नी श्री प्रेम लाल, ग्राम हरलोग को श्रीमती भगती देवी द्वारा पंच पद से त्याग पत्र देने के कारण रिक्त स्थान के लिए ग्राम पंचायत हरलोग की शेष कार्य अवधि के लिए महिला पंच के रूप में अपने प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 7-2-89 के अन्तर्गत सहविकल्पित कर लिया गया है।

अतः मैं, सरोज कुमार दास, जिलाधीश, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19-ए(2) के अधीन प्राप्त हैं श्रीमती दशोधा देवी पत्नी श्री प्रेम लाल, ग्राम हरलोग विकास खण्ड घुमारवीं का नाम ग्राम पंचायत हरलोग की महिला पंच के रूप में ग्राम पंचायत की शेष कार्य अवधि के लिए सहविकल्पित प्रकाशित करता हूं।

एस0 के0 दास,
जिलाधीश,
जिला बिलासपुर।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

आदेश

धर्मशाला, 2 अप्रैल, 1989

क्रमांक पी0सी0एच0-के0जी0आर-769-72.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 70 के अनुसार श्री कुलदीप चन्द राणा, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति बैजनाथ के विरुद्ध दिनांक 29-3-89 को पास किए गए अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप वे अपना विश्वास उपाध्यक्ष के रूप में खो चुके हैं, तथा उपाध्यक्ष पद रिक्त हो गया है।

अतः मैं, पी0सी0 डोगरा, उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, उक्त पंचायत समिति में अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत पुनः निर्वाचन करने हेतु सर्व प्रथम उपाध्यक्ष का पद खाली होने की अधिसूचना जारी करता हूं। ज्योंहि यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अधिसूचित हो जायेगी निर्वाचन विभाग द्वारा नियमानुसार तुरन्त निर्वाचन की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

अधिसूचना

धर्मशाला, 22 अप्रैल, 1989

संख्या 764-68-पंच.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 63 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान पंचायत समिति के प्राथमिक सदस्य हैं अतः मैं, पी0सी0 डोगरा उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, अधिनियम की धारा 68(1) के अधीन जिला कांगड़ा के विकास खण्ड लम्बागांव के ग्राम पंचायत जलग के प्रधान को पंचायत समिति के प्राथमिक सदस्य के नाम की अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जारी करता हूं :

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	प्राथमिक सदस्य का नाम व पता
1	लम्बागांव	श्री प्रमोध सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत जालग, गांव लद्दी, डाकघर जालग, तहसील जैसिंहपुर, जिला कांगड़ा।

पी0 सी0 डोगरा,
उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय उपायुक्त, जिला लाहौल-स्पिति, केलांग

कार्यालय आदेश

केलांग, 18 मार्च, 1989

संख्या एल0एस0पी0-पंच (ए)-6/77/194-99.—क्योंकि श्री बलदेव राज, प्रधान ग्राम पंचायत तिन्दी जिला लाहौल स्पिति जो उक्त पंचयात में प्रधान पद पर कार्यरत है और पंचायत के लेखों की जांच पर निम्नलिखित अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए हैं:—

1. पंचायत निधि के उपयोग पर रिकार्ड संधारण में अनियमितता बरती व कई दशाओं में राशि प्राप्त करने/निकालने तथा इस के ईन्द्राज पंचायत रोकड़ में समय पर न करवाने और काफी अन्तराल के पश्चात् इन्हें वितरित करना ।
2. तिन्दी पुल निर्माण हेतु जो सिमेंट क्रय किया हेतु कुटेशनें नहीं ली गई। स्टाक बुक में कोई विहित ढंग से सिमेंट प्रयोग का जमा खर्च नहीं बतलाया ।
3. मुबलिग 25,000 रुपये की राशि अनुदान वि0 खा0 आ0 लाहौल को वापिस की दिखाई गई किन्तु विहित रसीद प्राप्त नहीं की गई ।
4. नकद शेष/पंचायत निधि की राशि काफी अरसा तक अनियमित रूप से अपने पास रखते रहे हैं ।

क्योंकि इस प्रकार श्री बलदेव राज, प्रधान, ग्राम पंचायत तिन्दी, पंचयात के कार्यों को नियमानुसार न निकालने में दोषी पाये गये और क्योंकि प्रधान द्वारा दिया गया इस बारे में स्पष्टीकरण और असन्तोषजनक पाया गया।

अतः मैं, जे0 आर0 कटवाल, उपायुक्त, ज़िला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री बलदेव राज, प्रधान, ग्राम पचायत तिन्दी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिन्दी के प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित करने का आदेश देता हूं, वह अपना कार्यभार शीघ्र उप-प्रधान, ग्राम पंचायत तिन्दी को सौंप दें।

केलांग, 18 मार्च, 1989

संख्या एल0एस0पी0-पंच-(ए)-32/85-189-920.—क्योंकि श्री नोरबु राम, वर्तमान प्रधान, ग्राम पचयात जोबरंग, ज़िला लाहौल-स्पिति, जो ग्राम पंचायत जोबरंग के प्रधान पद पर कार्यरत हैं, और पंचायत के लेखों की जांच पर निम्नलिखित अनियमितताओं के लिए दोषी पाये गये हैं :—

1. पंचायत निधि के उपयोग व रिकार्ड संधारण में अनियमिताता बरती व कई दशाओं में राशि प्राप्त करने/निकालने तथा इसके इन्द्राज पंचायत रोकड़ में समय पर न करवाने व काफी अन्तराल के पश्चात् इन्हें वितरित करना।
2. दिनांक 11-9-87 को श्री देवी राम को दस हज़ार की राशि पेशगी दी गई जिसे 6-11-87 को एक हज़ार व्यय दिखा कर 9000/- नकद वापस दिखाए। अतः पेशगी अनियमित दिखाई।
3. इसी प्रकार मु0 17000/- रुपये की राशि पेशगी अपने नाम दिखा कर हिसाब का भुगतान समय पर नहीं किया।
4. अवधि 6/63 से 3/87 के मध्य बकाया आडिट आपत्तियों के समाधान हेतु उचित पग नही उठाये गये।

क्योंकि इस प्रकार श्री नोरबु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत जोबरंग पंचायत के कार्यों को नियमानुसार न निभाने में दोषी पाये गये और क्योंकि प्रधान द्वारा इस बारे में दिया गया स्पष्टीकरण असन्तोषजनक पाया गया।

अतः मैं, जे0 आर0 कटवाल, उपायुक्त, ज़िला राहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश श्री नोरबु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत जोबरंग को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोबरंग के प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित करने का आदेश देता हूं। वह अपना कार्यभार शीघ्र उप-प्रधान, ग्राम पंचायत जोबरंग को सौंप दें।

जे0 आर0 कटवाल,
उपायुक्त,
ज़िला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश,
केलांग।

कार्यालय जिलाधीश, मण्डी, जिला मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 29 अप्रैल, 1989

संख्या: पी0 एन0 टी0 एम0 एन0 डी0-24-15/72-III.—क्योंकि ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड द्रंग अपनी बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 1987 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ग्राम बल्ह का मुख्य बाग बल्ह की बजाय मुहाल चलारग (मछयाल) में रखा जाए।

और वह कि पंचायत घर हेतु स्थानान्तरित भूमि विद्युत परियोजना वस्सी तृतीय चरण में आ चुकी है इस लिए बल्ह में पंचायत घर निर्माण सम्भव नहीं ।

अतः मैं, डा० ए० आर० बसु, जिलाधीश मण्डी उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के बने पंचायत नियम 1971 के नियम, 10(2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बल्ह का मुख्यधाम मोहाल चलारग (मछयाल) में ग्राम पंचायत के अनुरोध पर निश्चित करता हूं ।

आदेश द्वारा,
डा० ए० आर० बसु,
जिलाधीश,
मण्डी, जिला मण्डी, हि० प्र० ।

हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम, 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस

आदेश

मण्डी, 16 मई, 1989

संख्या पी०सी०एन०-एम०ए०बी०ए०-(9) 57/72.—यत तहसीलदार करसोग न इस कार्यालय को अपने पत्र संख्या 494 दिनांक 10-4-89 के अधीन सूचित किया है कि बहादुर सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत, वलीधार, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी ने श्री माठू राम, निवासी चमरोगा, पंचायत क्षेत्र वलीधार को वृद्धावस्था पैंशन प्रपत्र जिसमें आय का प्रमाण पत्र लेखबद्ध हैं पर बिना कुछ भरे हस्ताक्षर कर दिए हैं जो कि नियमित नहीं ।

और यह कि प्रधान की उपस्थिति में उप-प्रधान, प्रधान के कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं ।

और यह कि उक्त श्री बहादुर सिंह ने खाली प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है । ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक पद के योग्य नहीं समझा जाता ।

अतः मैं, एस० के जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, मण्डल मण्डी, श्री बहादुर सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत वलीधार, विकास खण्ड करसोग को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और उन्हें आदेश देता हूं कि वह कारण बताएं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर-2 इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

एस० के० जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी ।

कार्यालय जिलाधीश, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

ऊना, 10 अप्रैल, 1989

संख्या पंच-ऊना (8) 79-651.—क्योंकि विकास खण्ड ऊना तथा अम्ब की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के सहविकल्पित पंचों की मृत्यु के कारण उनके स्थान रिक्त हो चुके हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी ऊना तथा

अम्ब के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा नये सहविकल्पित पंचों के चुनाव, अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो चुके हैं ।

अतः मैं, राजमणी त्रिपाठी, ज़िलाधीश ऊना, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 ए (2) जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का अधिनियम संख्या 19) की धारा 9 (1) के साथ पढ़ा जाये, में वर्णित ग्राम पंचायतों द्वारा नये सहविकल्पित पंचों के नामों के इस सारणी के स्तम्भ 2 से 4 में दिये गये विवरण के अनुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचना करता हूं ।

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्ताव संख्या तथा दिनांक	विकास खण्ड	सहविकल्पित पंच का नाम व पता	स्त्री/पुरुष
1	2	3	4	5	6
1.	अबादा-बराना	5/6-2-89	ऊना	श्रीमती सवरनी देवी पत्नी श्री चमन लाल ग्राम अबादा-बराना, डा0 व ज़िला ऊना ।	स्त्री
2.	मन्धौली	5/11-1-89	अम्ब	श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री सुन्दर राम ग्राम मयहड़, डा0 सलोई, तहसील अम्ब, ज़िला ऊना ।	स्त्री

राजमणी त्रिपाठी,
ज़िलाधीश ऊना ।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 1989

संख्या एल0 एस0 जी0 सी0 (9)-6/83.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 (1968 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पथ पर अधिरोपित करने के नगरपालिका कांगड़ा, जिला कांगड़ा के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हैं :—

1.	चार या चार से अधिक पहियों वाले लदे हुए यान	3 रुपये प्रति फेरा ।
2.	लदा हुआ टांगा, टमटम	50 पैसे प्रति फेरा ।
3.	लदे हुए खच्चर, घोड़े, टट्टू	20 ,, ,, ,,
4.	टैक्सी, कार, जीप, जोंगा आदि	2 रुपये ,, ,,
5.	खाली ट्रक या अन्य चार पहियों वाले यान	1 रुपये ,, ,,

10 रुपये प्रति मास जमा करवाने पर स्थानीय चार पहियों वाले यान को, चलाने की मुक्ति प्राप्त हो सकेगी । परन्तु समस्त सरकारी/अर्ध सरकारी यानों को कर से छूट होगी ।

इसके अतिरिक्त हिमाचल के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 की धारा 61 की उप-धारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि उपर्युक्त दर 1-4-1989 से प्रवृत होंगी ।

यह अधिसूचना पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या: 4623-एल0 बी0-54/35447 तारीख 25 जून, 1954 और अधिसूचना संख्या: 13-7/66 एल0 एस0 जी0 तारीख 4 अप्रैल, 1968 द्वारा अधिरोपित पथ कर दरों को अधिक्रांत करती है ।

आदेश द्वारा,
ए0 के0 महापात्र,
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LSG. C(9)-6/83, dated 7-4-89 is hereby published under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India for the information of general public.*]

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th April, 1989

Endst. No. LSG.C (9)-6/83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 61 of the H. P. Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to sanction the proposal of Municipal Committee Kangra, District Kangra to impose the following toll tax :-

	Rates of Toll tax
1. Loaded four or more than four wheeled vehicles	Rs. 3/- per trip.
2. Loaded Tongas, Tum-Tum	50 Paise -do-
3. Loaded Mules, Horses and Ponies	20 Paise -do-
4. Taxi, Car, Jeep, Jonga, etc.	Rs. 2/- -do-
5. Unloaded Truck or other four wheeled vehicles	Re. 1/- -do-
6. The local vehicles can avail facility to ply their four wheeled vehicles by depositing Rs. 10/- per month:	

Provided that all Governments/Semi Government vehicles shall be exempted from this tax.

Further, in exercise of powers conferred by sub-section (9) of section 61 of the H. P. Municipal Act, 1968, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that the above rates shall come into force with effect from 1-4-1989.

This supersede the rates of toll tax imposed *vide* Punjab Governments Notification No. 4623-LB-54/35447, dated the 25th June, 1954 and Notification No. 13-7/66-LSG dated the 4th April, 1968.

By order,
A. K. MOHAPATRA,
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 30 मार्च, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0 (5) 1/89.—क्योंकि श्री नामेश्वर दत्त, पंच ग्राम पंचायत मराध विकास खण्ड रिवालसर, ज़िला मण्डी 28-1-86 से लगातार पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले रहे जिसकी पुष्टि ज़िला पंचायत अधिकारी मण्डी ने खण्ड विकास अधिकारी, रिवालसर की रिपोर्ट पर की है ।

क्योंकि श्री नामेश्वर दत्त का यह कृत्य पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक बना है तथा उक्त पंच का यह कृत्य उसके कर्त्तव्य परायणता के प्रति अनिष्ठा का द्योतक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत श्री नामेश्वर दत्त, पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर ज़िलाधीश मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए । अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 30 मार्च, 1989

सख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 11/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत निचला ग्रोड़ ने अपने प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 6-2-89 द्वारा यह सूचित किया है कि श्रीमती कौशल्या देवी सहविकल्पित महिला पंच, ग्राम पंचायत निचला ग्रोड, पंचायत की बैठकों में पिछले चार माह से उपस्थित नहीं हो रही है जबकि उन्हें यह विदित है कि हर मास पंचायत की बैठक 6 तारीख को तथा उस दिन अवकाश होने पर उस से अगले दिन होती है ।

क्योंकि श्रीमती कौशल्या देवी का यह कृत्य उनका पंचायत कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है तथा पंचायत की कार्यकुशलता में बाधा उत्पन्न कर रहा है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाये के अन्तर्गत श्रीमती कौशल्या देवी, सहविकल्पित महिला पंच ग्राम पंचायत निचला ग्रोंड को बिलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए उनका उतर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 30 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 27/80.—क्योंकि ग्राम पंचायत भावगुडी, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 6-12-88 द्वारा यह सूचित किया हैं कि श्रीमती पुन्नो देवी महिला पंच 6-8-88 से पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रही हैं जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर तथा ज़िला पंचायत अधिकारी सोलन ने की है ।

क्योंकि श्रीमती पुन्नो देवी का यह कृत्य उनका पंचायत के कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है तथा पंचायत की कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हो रहा हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली 1971 क नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्रीमती पुन्नो देवी महिला पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं, कि क्यों न उरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर उपायुक्त, सोलन के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 30 मार्च, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 27/80.—क्योंकि ग्राम पंचायत भावगुडी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 6-12-88 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री सागर चन्द, पंच, ग्राम पंचायत भावगुडी, पंचायत की बैठकों मे अनुपस्थित रहे हैं ।

क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुर, सोलन ने इस तथ्य मे अवगत करवाया है कि श्री सागर चन्द, पंच, पंचायत की एक बैठक को छोड़कर दूसरी बैठक में उपस्थित हो जाते हैं ।

उपरोक्त के दृष्टिगत श्री सागर चन्द, पंच, ग्राम पंचायत भावगुडी, विकास खण्ड धर्मपुर जिला सोलन को यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में पंचायत बैठकों में नियमित रूप से भाग लें तथा यदि वह किसी विवशता के कारणवश पंचायत की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो पंचायत को समयानुसार सूचित करेंगे ।

शिमला-2, 30 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 48/87.—क्योंकि ग्राम पंचायत कपाही ने अपने प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 22-1-89 द्वारा जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को यह सूचित किया है कि श्री किशोरी लाल, पंच, ग्राम पंचायत कपाही पंचायत की 6 बैठकों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं ।

क्योंकि श्री किशोरी लाल का यह कृत्य उनका पंचयात के कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है तथा पंचायत की कार्यकुशलता में विघ्न डाल रहा है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्री किशोरी लाल, पंच, ग्राम पंचायत कपाही को निलम्बनार्थ कारण बताओं नोटिस देते है कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर जिलाधीश चम्बा के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 30 मार्च, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 315/76.—क्योंकि श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत उपरली बेहली निम्न आरोपों में संलिप्त लगते हैं :

यह कि निर्माण रास्ता डमहोल हेतु खण्ड विकास अधिकारी सुन्दरनगर से 19.55 क्विंटल चावल तथा 14.30 क्विंटल गन्दम मजदूरों को काम के बदले वितरण हेतु प्रधान ने प्राप्त की तथा पंचायत अभिलेखों के अनुसार यह अनाज मजदूरों को वितरित दिखाया गया है जबकि मजदूरों में केवल 3.82 क्विंटल चावल तथा 1.99 क्विंटल गन्दम वितरित किया गया । इस प्रकार प्रधान 15.93 क्विंटल तथा 12.91 क्विंटल गन्दम उच्च भाव में बेचने तथा राशि छलहरण के दोष में संलिप्त लगते हैं।

यह कि श्री कातरू को मस्ट्रोल नं0 69, फरवरी, 1988 को मिस्त्री के रूप में दिखाया है जबकि उन्होंने इस अवधि में बेलदार का ही कार्य किया है उसको 28 दिन की मजदूरी 30 रुपये प्रति दिन की दर से दिखाई है जबकि 15 रुपये प्रति दिन की दर से मजदूरी अदा करके मु0 420 रुपये की राशि छलहरण हुई प्रतीत होती है ।

यह कि उक्त प्रधान द्वारा मु0 2500 रुपये पत्थर ढुलाई के ट्रैक्टर नं0 एच0 आई0 डी0-4572 श्री चेत राम को 20 ट्रालियों की मजदूरी 125 रुपये प्रति ट्रोली की दर से दिखाई है जबकि यह तथ्य सामने आया है कि केवल तीन ट्रालियां श्री चेत राम से प्राप्त की तथा 125 रुपये प्रति ट्राली की दर से मु0 375 रुपये अदा किए इसके साथ-साथ मु0 900 रुपये के पत्थर श्री दत्त राम से तथा मु0 55 रुपये के पत्थर श्री हंस राज से क्रय किए इस तरह कुल पत्थर की कीमत जो अदा की है वह वास्तव में 1,330 रुपये बनती है और इसी राशि के पत्थर सड़क निर्माण के प्रयोग में लाये गए परन्तु पत्थरों पर व्यय मु0 2500 रुपये दिखाया गया है, इस तरह मु0 1170 रुपये छलहरण उक्त प्रधान ने किया है।

यह कि मस्ट्रोल संख्या 68, मास जनवरी, 1988 में श्रमिक संख्या 6 अनुसार श्री जय कृष्ण ने 5 दिन तथा मस्ट्रोल संख्या 69, मास फरवरी, 1988 में भी उक्त श्रमिक श्री जय कृष्ण ने क्रम संख्या 6 में 15 दिन वास्तव में कार्य किया है मस्ट्रोल जनवरी, 1988 में 15 दिन तथा फरवरी, 1988 में 27 दिन की मजदूरी दिखाई है । इस तरह मु0 300 रुपये की बजाए मु0 630 रुपये व्यय रोकड़ में दर्ज करके मु0 330 रुपये का छलहरण का आरोप सामने आया है ।

क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (ए0डी0एम0) मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश मण्डी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

शिमला-2, 22 अप्रैल, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)253/77.—क्योंकि श्री फकीर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेडी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला पर गबन/अनियमितता के निम्न आरोप हैं।

कि उन्होंने पंचायत की मु0 11568.75 रुपये की धनराशि 23-7-86 से अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी तथा पंचायत निधि में जमा न करवा कर उसका दुरुपयोग किया ।

कि ग्राम पंचायत ने उन्हें 23-4-86 की क्रम संख्या 0601 से 0700 की जो रसीद बुक दी थी उस पर एकत्रित दान राशि का हिसाब किताब पंचायत को न देकर धनराशि का दुरुपयोग किया ।

कि उन्होंने प्राथमिक पाठशाला भरेडी तथा कंटीन के कार्य हेतु अनाज के रूप में मिले अनुदान के 5,665.40 रुपये का कोई हिसाब-किताब ग्राम पंचायत भरेडी को न देकर राशि का दुरुपयोग किया।

क्योंकि श्री फकीर चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत भरेड़ी के उपरोक्त कृत्य ग्राम पंचायत की धन राशि को अपनी स्वेच्छा से खर्च/इस्तमाल करने का प्रतीक है जिस में गबन के तत्व को नकारा नहीं जा सकता।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 जिसे ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाए श्री फकीर चन्द प्रधान ग्राम पंचायत भरेड़ी को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाए उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

शिमला-2, 29 अप्रैल, 1989

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 354/76.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत हुई जांच की रिपोर्ट पर विचार उपरान्त उपायुक्त बिलासपुर के कार्यालय आदेश संख्या बी० एल० पी०-पंच-14-34/68-975, दिनांक 25-5-88 को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

शिमला-2, 23 मई, 1989

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 22/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत हुई जांच के परिणाम स्वरूप इस कार्यालय के सम संख्यांक आदेश दिनांक 16 जुलाई, 1987 को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।